Kanpur Electricity Supply Administration (KESA) due to non-payment of pending dues.

(b) The disconnection of power supply has adversely affected the production and order book position of the company.

(c) and (d) Such operational problems which are caused by acute scarcity of resources inspite of Govern ment's budgetary support are taken care of by the Company.

Anti-defection Law in respect of lnde-pedent Candidates

1488. SHRI SATISH PRADHAN: " Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government will consider amending the Peoples Representation Act to give right to the voters to recall their elected members;

(b) whether Government are aware that large number of independent candidates win the elections, defeating official candidates of political parties but later on Join the parties;

(c) whether such joining of the parties by Independent candidates will be considered as defection under the anti-defection law, if not, the reasons tnerefor; and

(d) what other steps Government propose to take to curb the bargaining powers of the independent elected members to prevent such corruptions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND' COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) No. Sir.

(c) According to the provisions of Tenth Schedule of the Constitution of India, an elected Member of a House, who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party shall be disqualified for being a Member *of* that House if he joins any political party, after such election.

(d) No other step is under consideration of the Government in this regard.

दिल्ली के न्यायालयों में दर्ज सम्पत्ति के मालिकों तथा किराएदारों के मुकदमें

1489. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के न्यायालयों में दर्ज संपत्ति के मालिकों तथा किराएदारों के बीच होने वाले विवादों की संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त मामलों में सबसे पुराना मुकदमा किस वर्ष से संबंधित है ;

(ग) इन मुकदमों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम में उचित रूप से संशोधन करने का विचार रखती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार दिल्ली न्यायालयों के लंबित संपत्ति के स्वामियों और किराएदारों के बीच विवाद की संख्या निम्नलिखित है :-

दिल्ली उच्च न्यायालय :	1758 (30-6-1994 को)
अधीनस्थ न्यायालय :	20332 (22-7-1994 को)

उपयुक्त मामलो में से अधिकतम पुराने मामले

दिल्ली उच्च न्यायालय : वर्ष 1973 का एस.ए.ओ. सं. 217–निर्मल जीराठ बनाम साधू राम आदि।

अधीनस्थ न्यायालय : अपर किराया नियंत्रण, दिल्ली के न्यायालय में लंबित 1969 का एक मामला।

(ग) और (घ) सरकार, जुलाई, 1992 में संसद् के पटल पर रखे गए आदर्श किराया नियंत्रण विधायन के आधार पर दिल्ली किराया अधिनियम को अधिनियमित करने का प्रस्ताव करती है। प्रस्तावित अधिनियम का उद्देश्य मकानमालिकों और किराएदारों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के सिवाय सभी न्यायालय, की अधिकारिता का वर्जन करके, किराए संबंधी मुकदमों के शीघ्रता से निपटारे के लिए, किराया प्राधिकरणों और किराया अधिकरण के रूप में न्यायिक मशीनरी को सुव्यवस्थित करने के लिए उपबंध किया जाए। विधेयक को संसद् के चालू सत्र में पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने सूचित किया है कि उच्च न्यायालय ने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(i) एक जैसे और समान मुद्दों वाले मामलों को एक साथ समूहबद्ध किया जाता है और निपटारे के लिए एक साथ न्यायालय के समक्ष रखा जाता है।

(ii) प्रत्येक मास में एक पूरे सप्ताह के दौरान पुराने मामलों को पूर्णतया सूचीबद्ध किया जा रहा है जिससे कि इन मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके।

(iii) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक मास अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों को मानीटर किया जाता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन न्यायालयों द्वारा पर्याप्त निपटारा किया जाता है।

Measures taken by Government to check Lawyers strikes

1490. SHRI O.P. KOHLI- Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the lawyers of Delhi have been going on strike every now and then on one ground or the other;

(b) if so, how many times the lawyers went on strike in 1993 and 1994 so far alongwith the reasons therefor;

(c) what measures Government have taken or propose to take to check the strikes; and

(d) if the reply to part (c) above be in the negative, the reasons therefore?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir.

(b) On the basis of information furnished by the Delhi High Court, details of the strikes observed by the lawyers in 1993 and upto July, 1004 are given in the annexure. [see Appendix 171 Appendix 171, annexure No 27]

(c) and (d) A resolution adopted by the Chief Ministers and Chief Justices in their meeting held in December, 1993 recommended the constitution of committees of lawyers and judges at the appropriate- 'levels to go into problems concerning lawyers' strikes and evolve appro priate guidelines to- preventing indis criminate closure of Courts. Copies